



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018
www. rsmsssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141-2722520

दिनांक 03.09.2021

पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा-2018

बोर्ड द्वारा राजस्थान समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-1998 एवं संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1040 एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये 310 कुल 1350 पदों के लिए परीक्षा परिणाम दिनांक 31.07.2019 एवम् 27.11.2020 को जारी किया गया था।

उक्त पदों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों एवं सवहन से रहे अभ्यर्थियों की श्रेणी में परिवर्तन पश्चात् पूर्व में जारी पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की कटऑफ से अधिक अंक होने के कारण निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु परीक्षा परिणाम में सम्मिलित किया गया है।

ये सूचियां पूर्णतया अस्थाई अनन्तिम (Purely Provisional) है। इनकी पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा। पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन के पश्चात् पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। इसके पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु बोर्ड द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग को नियमानुसार अभिस्तावित किये जायेगें। पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किये गये पूर्व के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के रोल नम्बर निम्नानुसार है:-

गैर अनुसूचित क्षेत्र (रोल नं०)

300797 305732 306054 309382 310523 314603 320060***

नोट:-

1. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों का जिन्होंने गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी आवेदन किया है, उन्हें वरीयता के आधार पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के परीक्षा परिणाम में भी शामिल किया गया है। इसलिए उनके रोल नम्बर दोनों श्रेणियों में अंकित हो सकते हैं।
2. पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों की कटऑफ पूर्व में जारी परीक्षा परिणाम के अनुसार ही रहेगी।
3. नवीन व अद्यतन जानकरी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmsssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

(पुष्कर राज शर्मा)
सचिव